न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज०)

राजस्व लोक अदालत–न्याय आपके द्वार 2017

पीठासीन अधिकारीः–श्री साधुराम जाट, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः–3/17 प्रार्थना पत्र

उनवान

1–हजारी पिता गोपी खटीक निवासी सगरेव तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज0)
2–रोशन पिता गोपी खटीक निवासी सगरेव तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज0)
3–सुरेश पिता नानु खटीक निवासी सगरेव तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज0)
4–लहरी बेवा नानु खटीक निवासी सगरेव तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज0)

प्रार्थीगण

बनाम

1–देवीलाल पिता घीसा गुर्जर निवासी सगरेव तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज0)
2–श्रीमान तहसीलदार साहब रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज0)

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क आर0टी0एक्ट.

उपस्थित

1. जाकिर हुसैन– अधिवक्ता प्रार्थीगण

निर्णय

दिनांक 12.06.2017

पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार केम्प रायपुर मे पेश हुई। प्रकरण का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि ग्राम सगरेव तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी मे प्रार्थीगण की खातेदारी अधिकारो की कृषि आराजी संख्या 3816 रकबा 0.44 हे0, आराजी संख्या 3817 रकबा 0.10 हे0, आराजी संख्या 3828 रकबा 0.50 हे0, भुमिया प्रार्थीगण की अन्य कृषि आराजियात के साथ खाता संख्या 823 मे अंकित होकर स्थित है। प्रमाण मे वर्तमान जमाबंदी व नक्शा ट्रेस प्रार्थनापत्र के साथ पेश है। प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 1 मे अंकित प्रार्थीगण की कृषि आराजियात में आवागमन का एक मात्र कदीमी रास्ता ग्राम सगरेव की आबादी भुमी से होकर करीब 70–80 वर्षो से उनके पूर्वजो के समय से सरकारी भुमी में स्थित रास्ते से होकर विपक्षीगण की आराजी संख्या 4673/3826 के आगे स्थित सरकारी भुमि से होकर विपक्षी की आराजी संख्या 4673/3826 की उत्तरी पाली पर होता हुआ आराजी संख्या 4675/3827 की पश्चिमी पाली पर होता हुआ नहर पर बने पुलिए से प्रार्थीगण की कृषि आराजियात मे जाता है जो 15 फिट चौडा है। प्रार्थीगण इसी रास्ते का उपयोग करते हुए अपनी कृषि आराजियात जिनका वर्णन प्रार्थना पत्र की कलम संख्या एक मे किया गया है मे आवागमन करते है तथा उनसे लगती हुई अपनी अन्य आराजियात मे आवागमन करते चले आ रहे है प्रार्थीगण की कृषि आराजियात मे आवागमन के रास्ते को राजस्व नक्शे लाल स्याही से डोटेड किया गया है। प्रार्थीगण विपक्षी की आराजियात मे स्थित उक्त रास्ते से ही वर्षो से आवागमन कर अपने खेतो मे फसल काश्त कर फसल लाभ लेते आ रहे है तथा अपने ट्रेक्टर, बैल, संज गाड़ी आदि भी इसी रास्ते से लेकर जाते है। प्रार्थीगण की कृषि आराजियात मे आवागमन का एक मात्र विद्यमान रास्ता विपक्षी की उपरोक्त आराजियात जिसे नक्शे मे लाल स्याही से डोटेड किया गया है वही है इसके अलावा प्रार्थीगण की आराजियात मे आवागमन का अन्य कोई रास्ता नही है। प्रार्थीगण की आराजियात मे उक्त रास्ता अत्यन्त आवश्यकता का रास्ता है। प्रार्थीगण की कृषि आराजियात मे आवागमन के उक्त रास्ते को विपक्षी जबरन बन्द करने पर आमादा है तथा आये दिन विपक्षी प्रार्थीगण के रास्ते मे अवरोद्ध डाल देते है तथा मना करने पर गाली गलोच व मार पीट करने की धमकी देते है तथा ऐन केन प्रकारेण प्रार्थीगण को परेशान करने की नियत से रास्ते मे पत्थर डाल देते है जिसे प्रार्थीगण को काफी कठिनाईयो का सामना करना पड़ रहा है। उक्त रास्ता राजस्व रेकार्ड मे दर्ज नही होने से विपक्षी प्रार्थीगण के आवागमन के रास्ते को बन्द करने पर आमादा हो रहे है। प्रार्थीगण ने विपक्षी के विरूद्ध सिविल न्यायालय मे वाद पेश कर रखा है जिसमे विपक्षी के विरूद्ध स्थगन आदेश जारी हैं। प्रार्थीगण के खैतो मे आवागमन का एक मात्र रास्ता विपक्षी की उक्त आराजियात के उतरी पाली से होता हुआ पश्चिमी पाली पर बने पुलिये से होकर जाता है जो मौके पर 15 फीट चौडा है परन्तु विपक्षी ने पुलिये को भी तोड़ दिया है प्रार्थीगण के उक्त रास्ते को राजस्व नक्शे मे लाल स्याही से डोटेड अंकित किया गया है जिससे स्थाई रूप से राजस्व रेकार्ड मे रास्ता दर्ज किया जाना न्यायोचित है। प्रार्थीगण के आवागमन के रास्ते मे विपक्षी की जीतनी भूमि आती है उतनी भूमि की कीमत प्रार्थीगण डी एल सी दर से विपक्षी को अदा करने को तैयार है।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर प्रकरण दिनांक 18.01.2017 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को नोटिस जारी किये गये। नोटिस की पालना मे विपक्षी संख्या 1 अपने अधिवक्ता के साथ उपस्थित हुआ है। तथा विपक्षी संख्या 1 की ओर से जवाब पेश कर कथन किया कि प्रार्थीगण की आराजी मे आवागमन का रास्ता विपक्षी की आराजी मे नही है न ही प्रार्थीगण ने विपक्षी की आराजी मे से आवागमन किया है। तथा विपक्षी की आराजी के चारो तरफ पकी दिवार है। प्रार्थीगण की आराजी के पास पड़ौसी खातेदार की आराजी संख्या 3818, 3819, 3820, 3815, 3814, 3812, 3811 स्थित है। जिसके सभी काश्तकार आराजी संख्या 3805 की दक्षिण दिशा मे बने हुए रास्ते से होकर आराजी संख्या 3852, 3850 से होकर प्रार्थीगण अपने खेतो मे जाते है तथा सदैव से इसी रास्ते का उपयोग करते चले आ रहे है। प्रार्थीगण मुझ विपक्षी की कृषि भूमि नया रास्ता खुलवाना चाहते है। विपक्षी के आराजी के चारो तरफ पक्की पत्थरो की दिवार बनी हुई है। जिससे प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे। विपक्षी संख्या 02 पैरोकार सरकार द्वारा दिनांक 11.05.2017 को 07 बिन्दुओ की रिपोर्ट पेश की गई जिसमे भी प्रार्थीगण के कृषि आराजियात मे आवागमन का रास्ता विपक्षी की आराजी संख्या 4673/3826 रकबा 0.33 हे0 व आराजी संख्या 4675/3827 रकबा 0.38 हे0 मे होकर जाना बताया तथा इसके अलावा अन्य कोई रास्ता नही होना अंकित किया गया। प्रकरण मे दोनो पक्ष व उनके अधिवक्ता उपस्थित है। पक्षकारो को समझाया गया जिस पर उभय पक्षो द्वारा राजीनामा पेश किया गया जिसे तस्दीक किया जाकर शामिल फाईल किया गया।

मैने पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा बहस सुनी गयी तथा बहस पर मनन किया गया। राजीनामा अनुसार ग्राम सगेरव तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी मे प्रार्थीगण की आराजी संख्या 3816, 3817, 3828 मे आवागमन के लिये विपक्षी की आराजी संख्या 4673/3826 रकबा 0.33 हे0 मे से 0.01 हे0, 4675/3827 रकबा 0.38 हे0 मे से 0.0280 हे0 कुल किता 02 कुल रकबा 0.0380 हे0 भूमि रास्ते के रूप मे दर्ज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

उपरोक्त विवेचन व राजीनामा के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझता हुं। अतः

आदेश

राजीनामा अनुसार ग्राम सगेरव तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी मे प्रार्थीगण की आराजी संख्या 3816, 3817, 3828 मे आवागमन के लिये विपक्षी की आराजी संख्या 4673/3826 रकबा 0.33 हे0, आराजी संख्या 4675/3827 रकबा 0.38 हे0 की उतरी पाली पर 12 फीट चौड़ा बिलानाम गै0मु0 रास्ता राजस्व रेकाड मे दर्ज करने का आदेश तहसीलदार रायपुर को दिया जाता है। रास्ते के रूप मे उपयोग आने वाली भूमि की डी एल सी दर से राशि प्रार्थीगण से वसुल कर विपक्षी को दिलाई जावे। प्रार्थीगण विपक्षी की आराजी मे प्रवेश के स्थान पर फाटक अपने खर्चे से लगायेगे तथा विपक्षी की आराजी मे कोई नुकासान नही करेगे। प्रार्थीगण अपनी आराजी मे प्रवेश के स्थान पर फाटक नही लगायेगे।

साधुराम जाट
आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

निर्णय आज दिनांक 12.06.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

4673 / 3826